INDIA NON JUDICIAL

IN-UP57912101910467X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IV 65/2025

Certificate No.	:	IN-UP57912101910467X
Certificate Issued Date	:	25-Jul-2025 04:00 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14354704/ RAEBARELI SADAR/ UP-RAB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14354704134621418853O6X
Purchased by	:	M M PUBLIC SCHOOL TRUST THR SEC GAURAV AWASTHI
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	M M PUBLIC SCHOOL TRUST THR SEC GAURAV AWASTHI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	M M PUBLIC SCHOOL TRUST THR SEC GAURAV AWASTHI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

"हमारा संविधान,हमारा स्वाभिमान"

LOCKED

Please write or type below this line

PF 0011971552

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

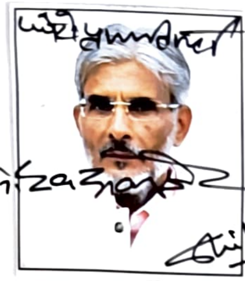

न्यास–पत्र

स्टाम्प–1000 / –रू0

इस ट्रस्ट का गठन मई 2011 को भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1885 के अधीन पंजीकृत हो रहा है। न्यास पत्र के प्राविधानों के अनुसार समय–समय पर न्यास पत्र में संशोधन होते रहेंगे।

1.न्यास का नाम	:	मनोहरा मोहिनी पब्लिक स्कूल ट्रस्ट
2.पंजीकृत कार्यालय	:	एम0आई0जी0–61 इंदिरा नगर आर0डी0ए0 कालोनी रायबरेली
3.न्यास का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश एवं भारत

Scanned Total pages 20
RAJESH PRATAP SINGH
Sign. Asst. Reg...............

4.न्यास के उद्देश्य : शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता के लिए स्कूल–कालेजों की स्थापना एवं संचालन, केन्द्र उद्यमिता विकास प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, सामाजिक सेवा केन्द्र, संचालित करना 'महिला विकास के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित एव संचालित करना' उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं प्रबंध शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं प्रबंध शिक्षा एवं इसी तरह के अन्य शिक्षा संस्थान स्थापित करना एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल खोलना एवं स्वास्थ्य शिविर आदि आयोजित करना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय–वाचानालय स्थापित एवं संचालित करना सभी भाषाओं के साहित्यकारों, सस्कृति कर्मियों, पत्रकारों, शोधर्थियों, पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन

एवं वितरण करना, स्मारक स्थापित कर अनुरक्षण करना एवं हिन्दी के प्रचार–प्रसार में लोगों को जागरूक करना। राष्ट्रभाषा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकें हिन्दी में अनुवाद कराकर प्रकाशित–वितरित करना। स्थानीय निवासियों के उत्थान एवं प्रगति हेतु अन्य तत्सम्बन्धी कार्य करना।

5.न्यास मंडल : न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिकतम 5 सदस्यों का न्यास मंडल होगा। न्यास मंडल के निम्न सदस्य होंगे।

क्र0सं0	नाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	गौरव अवस्थी पुत्र स्व0 कमला शंकर अवस्थी	निवासी एम0आई0जी0–61 इन्दिरा नगर, आर0डी0ए0 कालोनी रायबरेली	सेवानिवृत्त	
2	श्रीमती प्रज्ञा अवस्थी पत्नी गौरव अवस्थी	निवासी एम0आई0जी0–61 इन्दिरा नगर, आर0डी0ए0 कालोनी रायबरेली	गृहणी	प्रज्ञा अवस्थी
3	श्री शिखर अवस्थी पुत्र गौरव अवस्थी	निवासी एम0आई0जी0–61 इन्दिरा नगर, आर0डी0ए0 कालोनी रायबरेली	व्यापार	
4	यशी अवस्थी पुत्री गौरव अवस्थी	निवासी एम0आई0जी0–61 इन्दिरा नगर, आर0डी0ए0 कालोनी रायबरेली	निजी कर्मचारी	Yashi
5	श्री विनोद शुक्ल पुत्र स्व0 भंवरेश्वर शुक्ला	निवासी बी–231 इंदिरा नगर रायबरेली 229001	सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी	

6. यह कि न्यास मंडल का एक प्रबंध मंडल होगा। प्रबन्ध मंडल में निम्न पदाधिकारी होंगे, जिनका कार्यालय पांच वर्ष का होगा। प्रबंध मंडल का चुनाव न्यास मंडल के सदस्य सर्वसम्मति से करेंगे या 2/3 के बहुमत से होगा–प्रबन्ध मण्डल के निम्न पदाधिकारी होंगे।

1. अध्यक्ष	–	प्रज्ञा अवस्थी
2. उपाध्यक्ष	–	शिखर अवस्थी
3. कोषाध्यक्ष/सचिव	–	गौरव अवस्थी
4. सदस्य	–	यशी अवस्थी
5. सदस्य	–	विनोद शुक्ल

7. यह कि न्यास मंडल के नए सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार न्यास मंडल के सदस्यों को 2/3 के बहुमत से होगा।
8. यह कि न्यास के प्रबंध मंडल के किसी पद या स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ति न्यास मंडल के सदस्यों की सर्वसम्मति या 2/3 बहुमत से होगी।
9. यह कि न्यास मंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार न्यास मंडल के 2/3 बहुमत से होगा।
10. यह कि न्यास कभी भी भंग नही किया जा सकता है।
11. यह कि न्यास मंडल का कोई भी सदस्य स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर भारमुक्त हो सकता है।

12. यह कि न्यास के किसी भी सदस्य के पागल होने, असाध्य रोग, छुआछूत का रोगी होने, दिवालिया घोषित होने पर या किसी अपराध में दोष सिद्ध होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी या समझी जायेगी। नियम विरूद्ध आचरण करने वाले न्यासी को न्यास मण्डल से हटाये जाने का अधिकार न्यास मण्डल को होगा। सर्वसम्मति न होने की दशा में 2/3 के बहुत से इसका निर्णय किया जायेगा।

13. यह कि न्यास मंडल की प्रतिवर्ष एक सामान्य बैठक अनिवार्य होगी। बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पहले भेजना आवश्यक होगी। आवश्यकता अनुसार कोषाध्यक्ष/सचिव न्यास मण्डल की बैठक आहूत कर सकेगा। बैठक का कोरम न्यास मंडल की 1/3 सदस्य संख्या होगी तथा कोरम के अभाव में स्थगित बैठक के स्थान पर आयोजित बैठक में कोरम की बाध्यता नहीं होगी। बैठक में समस्त निर्णय सर्वसम्मति के अभाव में उपस्थित एवं मतदान करने वाले न्यासियों के 2/3 के बहुमत से लिया जाएगा। दोनों पक्षों के बराबर मत विभाजन की स्थितियों में बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति को निर्णायक मत देने अधिकार होगा।

14. यह कि न्यास मंडल की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में बैठक के लिए उपस्थित न्यास मंडल के सदस्यों में से ही वरिष्ठतम सदस्य का अध्यक्ष के रूप में चुनाव कर सकेगा। बैठक का कार्यवृत्त तथा अन्य ब्योरो एवं न्यास की समस्त लिखा पढ़ी के लिए कोषाध्यक्ष/सचिव उत्तरदायी होगा।

15. यह कि न्यास की सभी शक्तियाँ एवं कर्तव्य न्यास मंडल में निहित होगें। न्यास का धन राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक में रखा जायेगा और न्यास का धन एवं संपत्ति विधिसम्मत ढ़ग से विनिहित करने का अधाकार न्यास मंडल को होगा। न्यास के खातों का संचालन कोषाध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षरों से होगा। न्यास मंडल अपनी कोई भी शक्ति एवं अधिकार किसी/किन्ही न्यासियों में प्रत्यायोजित कर सकेगा। न्यास मंडल की ओर से अथवा उसका कार्य सम्पादित करने हेतु अधिवक्ता/अभिकर्ता मुख्तारआम एवं कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा तथा उन्हे पारिश्रमिक वेतन खर्चा अथवा लाभ दे सकेगा और आवश्यकतानुसार अध्यक्ष न्यासी मंडल की किसी/किन्ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, किन्तु न्यास मंडल के समस्त निर्णय कोषाध्यक्ष/सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा तथा बैठक की कार्यवाही सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवृत्त में लेखबद्ध किये जायेगें तथा वही कार्यवृत्त न्यास मंडल के निर्णयों का निश्चायक प्रमाण होगा।

16 यह कि न्यासी के रूप में की गई किसी या किन्ही भी सेवाओं के लिए न्यासी पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, किन्तु इस कार्य एवं सेवा में विधिवत उपगत व्यय न्यास से प्राप्त कर सकेगा।

17. यह कि कोषाध्यक्ष/सचिव को न्यास की ओर से सभी दस्तावेज पत्राजात अथवा प्रमाण पत्र आदि पर हस्ताक्षर करने अथवा करने अथवा प्रमाणित करने का अधिकार होगा।

18. यह कि न्यास मंडल न्यास के प्रयोजनार्थ तथा अचल सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा धारण कर सकेगा तथ अथवा अन्तरित कर सकेगा तथा उसका अनुरक्षर कर सकेगा और न्यास के उद्देश्यो के प्रयोजनार्थ किसी/किन्ही व्यक्तियों, संस्थाओं तथा अथवा केन्द्र और राज्य सरकार से दान अनुदान सहयोग सहायता अथवा शुल्क प्राप्त करने का अधिकार न्यास को होगा। न्यासी से सम्बन्धित किसी/किन्ही विवाद/विवादो में समझौता करने तथा

तद्नुसार कोई धन सम्पत्ति प्राप्त करने तथा/अथवा कोई आपत्ति (केन्द्रक राशि के अतिरिक्त) छोड़ देने का अधिकार न्यासी मंडल को होगा।

19. यह कि न्यास की लेखाबहियां वित्तीय वर्ष के अनुसार रखीं जाएगी तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लेखों का सम्परीक्षण वर्ष की समाप्ति के बाद अतिशीघ्र करा लिया जायेगा। पदाधिकारी सम्परीक्षण कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि में पूर्ण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरादायी होंगे। सम्प्रेक्षक की नियुक्ति न्यास मंडल करेगा।

20 यह कि न्यासी मंडल द्वारा अथ्वा उसके विरूद्ध वाद होने पर सभी आवश्यक कार्यवाही कोषाध्यक्ष/सचिव अथवा न्यासी मण्डल द्वारा नियुक्त अन्य कोई न्यासी न्यास मण्डल की ओ से करेगा।

21 यह कि न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा/अथवा कार्य सुलभ बनाने की दृष्टि से विनिमय (जो इस विलेख से असंगत न हो) बनाने तथा/अथवा संशोधन के लिए न्यास मण्डल स्वतंत्र होगा।

22. यह कि इस न्यास विलेख को कभी रद्द नहीं किया जा सकेगा तथा न्यास की सम्पत्ति कभी भी वापस न ली जा सकेगी। ऐसा कार्य विधि विरूद्ध माना जायेगा।

23 यह कि प्रयोजन सदैव पूर्ण हो इस उद्देश्य से न्यासी मण्डल इस आशय से ही आहूत है इसमें तीन चौथाई बहुमत से न्यास के उद्देश्यों अथवा इस विलेख की शर्तों में आवश्यक संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकता है।

24 न्यास के कोषाध्यक्ष/सचिव न्यास मण्डल के समस्त सदस्यों की सहमति से अपने हस्ताक्षर द्वारा उपनिबन्धक कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर न्यास पत्र का पंजीकरण करवाने हेतु अधिकृत होगें ।

25 ट्रस्ट के पास मु0–10,000/–रू0 की धनराशि है वर्तमान समय में इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के पास अन्य कोई चल या अचल सम्पत्ति नही हैं।

26 ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति नही होगी।

27 आयकर विभाग द्वारा समय–समय जारी दिशा निर्देश एवं नियमों का पालन किया जायेगा।

28 न्यास मण्डल के धन को न्यास मण्डल की सहमति से शेयर बाजार/म्युचुअल फण्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं की योजनाओं में निवेश किया जाये ताकि न्यास मण्डल के धन की वृद्धि हो सके।

दिनांकः—26.07.2025ई0
टंकणकर्ता
(धर्मेन्द्र कुमार)

[redacted]

साक्षी—1
शिखर अवस्थी पुत्र गौरव अवस्थी
निवासी एम0आई0जी0—61 इन्दिरा नगर,
आर0डी0ए0 कालोनी रायबरेली।
आधार नं0—XXXX XXXX 9443
मो0नं0 8447180816 व्यवसाय—व्यापार

साक्षी—2
कपेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीशंकर निवासी
ग्राम पूरे मेड़ई रघुनाथपुर कटैली परगना
व तहसील सदर जिला रायबरेली।
आधार नं0—XXXX XXXX 6018
मो0नं0 8173940588 व्यवसाय—कृषि